राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान भानीसर तेजसिंहोतान

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 123 / 2025

निर्णय दिनांक : 03.07.2025

दायर दिनांक – 03.07.2025

GCMS 2025/237

1. झुगाराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भानीसर तेजसिंहोतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान भानीसर तेजसिंहोतान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही ग्राम लोणा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 31 के खसरा संख्या 100 तादादी 2.4657 है0, खसरा संख्या 131 तादादी 0.7587 है0, खसरा संख्या 132 तादादी 1.7703 है0, खसरा संख्या 159 तादादी 0.7713 है0, खसरा संख्या 250 तादादी 2.4531 है0, खसरा संख्या 254 तादादी 6.9800 है0, खसरा संख्या 257 तादादी 1.6185 है0, खसरा संख्या 258 / 1 तादादी 0.0505 है0, खसरा संख्या 258 / 2

तादादी 0.1517 है0, खसरा संख्या 258/3 तादादी 1.8335 है0 खसरा संख्या 98 तादादी 1.9346 है0 व खसरा संख्या 99 तादादी 1.3783 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 22.1662 है0 प्रार्थी की खातेदारी में 1/12 हिस्सा दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गुगाराम पुत्र शोलाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम झुगाराम पुत्र दानाराम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम झुगाराम पुत्र दानाराम अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही ग्राम लोणा पटवार मण्डल भानीसर तेजसिंहोतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों आधारकार्ड, पैनकार्ड आदि में नाम झुगाराम पुत्र दानाराम अंकित है। अतः तहसीलदार सुजानगढ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जुगाराम पुत्र शोलाराम की बजाय झुगाराम पुत्र दानाराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड में प्रार्थी का नाम झुगाराम पुत्र दानाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही लोणा तहसील सुजानगढ में खाता संख्या नया 31 के खसरा संख्या 100 तादादी 2.4657 है0, खसरा संख्या 131 तादादी 0.7587 है0, खसरा संख्या 132 तादादी 1.7703 है0, खसरा संख्या 159 तादादी 0.7713 है0, खसरा

संख्या 250 तादादी 2.4531 है0, खसरा संख्या 254 तादादी 6.9800 है0, खसरा संख्या 257 तादादी 1.6185 है0, खसरा संख्या 258/1 तादादी 0.0505 है0, खसरा संख्या 258/2 तादादी 0.1517 है0, खसरा संख्या 258/3 तादादी 1.8335 है0 खसरा संख्या 98 तादादी 1.9346 है0 व खसरा संख्या 99 तादादी 1.3783 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 22.1662 है0 में दर्ज खातेदार का नाम जुगाराम पुत्र शोलाराम के स्थान पर झुगाराम पुत्र दानाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान भानीसर तेजसिंहोतान में टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ